अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पंचम, हाथरस।

उपस्थितः—विनय आर्या (एच.जे.एस)

लघुवाद निगरानी संख्या 01/2017

श्री रतनलाल पुत्र स्व0 नौरंगीलाल निवासी नया नगला दुकानदार बिजली मील चौराहा गौशाला रोड हाथरस, जिला हाथरस.....निगरानीकर्ता।

बनाम

श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री कुँवबिहारीलाल अग्रवाल निवासी रामजीद्वारा हाथरस, जिला हाथरस.....प्रतिपक्षी।

निर्णय

यह लघुवाद निगरानी अन्तर्गत धारा 25 एस.सी.सी.एक्ट के विरूद्ध आदेश दिनांकित 06.03.2017, जो न्यायालय लघुवाद (व0प्र0), हाथरस लघुवाद संख्या 06/12 श्यामसुन्दर अग्रवाल बनाम रतनलाल के संशोधन प्रर्थानापत्र स्वीकार किया गया, से क्षुब्ध होकर विपक्षी ने योजित किया है।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आदेश निगरानी नितान्त अवैध व गलत है, जो विधि के प्राविधानों के विपरीत पारित किया गया है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय पत्रावली का विधि का गहराई से अध्ययन नहीं किया है और आदेश अन्तर्गत निगरानी नितान्त गलत व मनमाने तरीके से पारित किया गया है। क्योंकि प्रार्थनापत्र संशोधन में कोई कारण प्रस्तावित तथ्यों को पूर्व में अंकित न करने का दर्शित नहीं किया गया है, जबकि प्रतिपक्षी ने दावा जुलाई सन 2012 में प्रस्तुत किया है और पत्रावली विगत काफी समय से साक्ष्य वादी/सुनवायी में नियत चल रही है। लघुवाद का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसीलिये संशोधित सी.पी.सी. के तहत संशोधन प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को अनदेखा कर अवैध आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमें के ट्रायल शुरू होने के पश्चात संशोधित सी.पी.सी. के अनुसार संशोधन पोषणीय नहीं है पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है और प्रार्थनापत्र संशोधन की आपत्ति को पूर्णतः अनदेखी कर गलत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्निहित शक्तियों का वैध रूप से प्रयोग नहीं किया है और आदेश अवैध व गलत रूप से पारित किया है। न्यायाहित में निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

वादी द्वारा निम्नलिखित संशोधन चाहा गया है–

वादपत्र की धारा 05 के उपरान्त 5(अ) निम्नवत कायम कि जावे– 5(अ) प्रतिवादी ने दौरान विचारण वाद बिला अनुज्ञा वादी की दुकान के अन्दर बोरिंग करा लिया है, जिसकी टंकी दुकान की छत पर रख ली है। प्रतिवादी के उक्त कृत्य से दुकान में सीलन हो गयी है और दुकान के मूल्यांकन में कमी आयी है एवं दुकान क्षतिग्रस्त हो रही है। वादी की अन्य सम्पत्ति भी क्षतिग्रस्त हो रही है। वादपत्र के पैरा संख्या 08 में अंकित तारीख 18.07.2012 के अन्तिम इन्कार से के उपरान्त निम्नवत बढ़ाया जावे– एवं दौरान वाद प्रतिवादी ने बिला अनुमति वादी प्रश्नगत दुकान के अन्दर बोरिंग कराकर दुकान की छत पर टंकी रखने के दिन।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 30ग–

वादी की ओर से मय शपथपत्र 31ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दौरान वाद प्रतिवादी ने बिला अनुज्ञा प्रश्नगत दुकान के मूल्यांकन में कमी करते हुए दुकान के अन्दर एक बोरिंग करा लिया है और टंकी छत पर रख ली है, बोरिंग कराने से दुकान में सीलन हो गयी है और दुकान क्षतिग्रस्त हो रही है एवं वादी की अन्य सम्पत्ति को भी सीलन को क्षति हो रही है। न्यायहित में उक्त तथ्य वादपत्र में अंकित किया जाना परमावश्यक है। तदनुसार वादपत्र में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र को विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 32ग करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र अवैध व गलत है, जो नितान्त असत्य कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी ने कतई दौरान वाद बिना अनुज्ञा दुकान के अंदर कोई बोरिंग नहीं करायी है न ही दुकान में सीलन हुई हो रही है एवं न ही कोई क्षति पहुॅच रही है और न ही वादी की अन्य सम्पत्ति को कोई सीलन हो रही है एवं न ही कोई क्षति पहुॅच रही है और न ही दुकान के मूल्यांकन में कोई कमी आयी है। छत पर टंकी काफी समय पहले से रखी हुई है। उक्त वाद में विचारण शुरू हो चुका है और उक्त वाद दिनांक 20.05. 2013 व 01.05.2014 से साक्ष्य में नियत चल रहा है। वादी निरन्तर वाद को टालता चला आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि लघुवाद संख्या 06/12 जो वादी श्यामसुन्दर द्वारा दिनांक 20.07.2012 को विरूद्ध अपीलार्थी रतनलाल के दायर किया गया था। उक्त पत्रावली में अमीन द्वारा प्राप्त आख्या दिनांकित 24.01.2013 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अमीन आख्या के निष्पादन के समय विवादित दुकान प्रतिवादी रतनलाल किरायेदार है। मौके पर उत्तरी तरफ दीवार में दरवाजा किया गया था जो बन्द मिला। विवादित दुकान में प्रतिवादी ने बोरिंग करा ली है। छत पर टंकी रख ली है, जिससे वादी की पूर्वी तरफ सीलन जा रही है। उक्त रिपोर्ट न्यायालय अमीन द्वारा दिनांक 24.01.2013 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर वादी द्वारा स्वयं दिनांक 30.11.2013 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। वादी द्वारा जानबूझकर पत्रावली को लम्बित करने के उद्देश्य से लगभग तीन वर्ष के उपरांत दिनांक 18.07.2016 को प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा देरी से संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2017 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 30 ग को मु0 400/—रू0 पर स्वीकार किया गया है

यहॉ पर यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है जैसा कि **माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेसर्स रीवाजीतू बिल्डर्स बनाम मेसर्स नारायण स्वामी एण्ड संस 2010 (109) आर0डी0 12 सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश—06 नियम 17 सी0पी0सी0 की** व्यवस्था के सन्दर्भ में विचार किया गया। उक्त मामले में कब संशोधन प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाये और कब अस्वीकार किया जाये के सन्दर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है।

उक्त मामले में ही पैरा 67 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार एवं अस्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किये जाने की बात कही गयी है।

01. क्या चाहा गया संशोधन, उचित एवं प्रभावी न्याय निर्णयन के लिए अनिवार्य है?

02. क्या प्रार्थनापत्र संशोधन सद्भावी अथवा असद्भावी है?

03. संशोधन से दूसरे पक्ष को ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए कि उसे पर्याप्त रूप से धन से क्षतिपूर्ति न की जा सके?

04. संशोधन इंकार किये जाने से अन्याय हो रहा हो अथवा वाद की बहुलता होगी?

05. क्या प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक अथवा मूलभूत रूप से केस की प्रकृति और स्वरूप को परिवर्तित करती है?

06. सामान्यतया न्यायालय को ऐसे संशोधन को इन्कार करना चाहिए, यदि नया वाद संशोधित दावे के साथ, प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि पर काल बाधित होता है?

अब यह भी विचारणीय है कि क्या प्रस्तावित नये संशोधन के प्रकाश में यदि संशोधित दावे को माना जाये तो यह प्रश्न उठता है कि क्या उपरोक्त संशोधन से मांगा गया अनुतोष काल बाधित है। इस सन्दर्भ में यहॉ इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रतिवादीगण ने अपनी आपत्ति में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि मांगा गया अनुतोष काल बाधित है।

वादी रेस्पोन्डेन्ट की ओर से निम्न विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है–

01. सम्पत्त कुमार बनाम अयैयकन्नु और अन्य 2002(20) एल0सी0डी0 1186 सुप्रीम कोर्ट।

02. लेखराज बनाम मुन्नी लाल एवं अन्य 2001(19) एल0सी0डी0 771।

03. अम्बिका प्रसाद द्विवेदी एवं अन्य बनाम श्री हरिहर प्रसाद 1958 (3) एल0सी0डी0 पृष्ठ 258।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ पर बल दिया गया है। उपरोक्त मान्य विधि व्यवस्थाओं में भी यह स्पष्ट है कि पूर्व परीक्षण के संशोधन को लचीले दृष्टकोण के साथ स्वीकृत किया जाना चाहिए, पश्चातवर्ती घटना के सन्दर्भ में जो सुसंगत है, उनके सन्दर्भ में संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए। अब जहॉ तक इस वाद में अन्तिम सुनवाई के स्तर पर होना प्रश्नगत आदेश में दर्शित किया गया है। इस सन्दर्भ में यहॉ यह कहना उचित होगा कि प्रश्नगत लघु वाद योजित किया गया है। अतः इस स्तर पर आदेश 06 नियम 17 का परन्तुक लागू नही होगा। जैसा कि **स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम टाउन मुन्सिपल काउन्सिल 2007 (1)** ए0डब्लू0सी0 627 सुप्रीम कोर्ट में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित विधि व्यवस्था **राजेश कुमार अग्रपाल एवं अन्य बनाम के0के0मोदी एवं अन्य 2006 (2) एस0सी0सी0डी0 936 सुप्रीम कोर्ट** में आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 के प्राविधान पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे सभी संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए जो कहा गया है, जो पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए आवश्यक है और जिसके द्वारा दूसरे पक्ष के साथ कोई अन्याय न हो रहा हो अथवा उसका हित प्रभावित न हो रहा हो। यह भी कहा गया है कि पक्षकारों को पूर्ण रूप से न्याय देने के लिए भी वयापक हित में संशोधन की शक्ति का न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। पश्चातवर्ती घटनाओं का नोटिस न्यायालय को मुकदमे बाजी को कम करने की दृष्टि से भी विचार में लेना चाहिए। उक्त मामले में यह भी कहा गया है कि यह सुस्थापित विधि है कि प्रस्तावित संशोधन के गुणदोष पर संशोधन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय विचार नहीं किया जायेगा।

प्रस्तुत लघुवाद संख्या 06/12 में वादी श्यामसुन्दर अग्रवाल द्वारा विरूद्ध प्रतिपक्षी वास्ते बेदखली हर्जा इस्तेमाली व कर की वसूली के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा गया है तथा इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र वादी द्व ारा विवादित सम्पत्ति में बदलाव की बाबत प्रस्तुत किया गया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वादी द्वारा उपरोक्त संशोधन प्रार्थनापत्र लगभग तीन साल के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उपरोक्त संशोधन प्रार्थनापत्र गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु आवश्यक है । वर्तमान में पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य नियत है तथा वादी द्वारा अभी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा, वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र को देरी से प्रस्तुत किये जाने की बाबत उचित हर्जा अधिरोपित किया गया है। ऐसी स्थिति में जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था के अनुसार यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेसर्स रीवाजीतू बिल्डर्स बनाम मेसर्स नारायण स्वामी एण्ड संस एवं सुरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम माखन सिंह। के अनुसार न्यायालय इस मत पर पहुॅचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया गया है

तथा देरी की बाबत उचित हर्जा अधिरोपित किया गया है। वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के वास्ते उचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन में लघु वाद की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विपक्षी/अपीलार्थी को अपने साक्ष्य में उक्त संशोधन के खण्डन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.17 को उभयपक्षकारों को सुनकर गुण दोष के आधार पर प्रार्थनापत्र 30ग पर आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई नियमों, प्रतिकूलताओं, विधि व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कोई त्रुटि नहीं की गयी है। तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सिविल अपील सव्यय निरस्त की जाती है। लघुवाद संख्या 06/12 श्यामसुन्दर अग्रवाल बनाम रतनलाल सिविल जज (व0प्र0), हाथरस द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.12.2017 पुष्ठ किया जाता है। पत्रावली विचारण न्यायालय को वापिस की जाती है। उभयपक्षकार विचारण न्यायालय में दिनांक 01.11.2019 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

दिनांक 24.09.2019

(विनय आर्या)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या पंचम
हाथरस।